अति महत्वपूर्ण/मानव सम्पदा पोर्टल
संख्या- 267 /सैतालीस-का-5-2024-(1838120)

प्रेषक,

मनोज कुमार सिंह,

मुख्य सचिव,

उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. समस्त अपर मुख्य सचिव / प्रमुख सचिव/सचिव, उ0प्र0 शासन।
2. समस्त विभागाध्यक्ष / कार्यालयाध्यक्ष, उ0प्र0।

कार्मिक अनुभाग-5 लखनऊ : **17-08-2024**

विषय:- मानव सम्पदा पोर्टल पर राज्य कर्मचारियों द्वारा चल-अचल सम्पत्ति का विवरण दर्ज किये जाने के संबंध में।

महोदय,

आप अवगत हैं कि शासनादेश संख्या-9/2023/418/सामान्य/सैंतालीस-का-4-2023, दिनांक 18 अगस्त, 2023 द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य के समस्त अधिकारियों / कर्मचारियों से उत्तर प्रदेश सरकारी कर्मचारी आचरण नियमावली, 1956 के नियम-24 के अनुसार मानव सम्पदा पोर्टल पर अपनी चल एवं अचल सम्पत्ति का विवरण दिनांक 31.12.2023 तक अनिवार्य रूप से प्रस्तुत किये जाने की अपेक्षा करते हुए यह भी निर्देश दिए गए थे कि चल-अचल सम्पत्ति का विवरण समयबद्ध रूप से प्रस्तुत न किये जाने पर इसे प्रतिकूल रूप में लिया जायेगा तथा दिनांक 01.01.2024 के पश्चात् होने वाली विभागीय चयन समिति की बैठकों में, ऐसे कार्मिकों द्वारा जब तक अपनी चल-अचल सम्पत्ति का विवरण पोर्टल पर प्रस्तुत नहीं किया जाता तब तक उनकी पदोन्नति के प्रकरणों पर विचार नहीं किया जाएगा। तत्क्रम में शासनादेश दिनांक 06.06.2024 द्वारा मानव सम्पदा पोर्टल पर चल अचल सम्पत्ति का विवरण प्रस्तुत किये जाने हेतु निर्धारित समयावधि दिनांक 30.06.2024 निर्धारित करते हुए यह भी अवगत कराया गया है कि चल-अचल सम्पत्ति का विवरण प्रस्तुत नहीं करने वाले कार्मिकों के विरूद्ध उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली-1999 के सुसंगत प्राविधानों के अधीन अनुशासनिक कार्यवाही भी की जाएगी। तदोपरान्त कार्मिक विभाग के पत्र / आदेश संख्या-2 38/सैतालीस-का-5-2024-(1788429) दिनांक 11.07.2024 द्वारा पोर्टल पर चल अचल सम्पत्ति का विवरण प्रस्तुत किये जाने हेतु निर्धारित समयावधि दिनांक 31.07.2024 तक बढ़ायी गयी।

2 - मानव सम्पदा पोर्टल की समीक्षा में यह संज्ञान में आया है कि उक्त स्पष्ट निर्देशों के बावजूद पोर्टल पर कुल पंजीकृत कार्मिकों के सापेक्ष अपनी सम्पतति का विवरण प्रस्तुत करने वाले कार्मिकों की संख्या बहुत कम है। शासन के स्पष्ट निर्देश होने के उपरान्त भी कार्मिकों द्वारा अपनी चल-अचल सम्पत्ति का विवरण पोर्टल पर दर्ज न किया जाना संतोषजनक नहीं कहा जा सकता है।

3- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि मानव सम्पदा पोर्टल पर सम्पत्ति विवरण प्रस्तुत करने की कार्यवाही चूंकि प्रथम बार की जा रही है अतएव प्रकरण में परिलक्षित हुयी आरम्भिक कठिनाईयों एवं समस्त परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए कार्मिकों को पोर्टल पर सम्पत्ति विवरण दर्ज करने हेतु एक अवसर और प्रदान करते हुए चल-अचल सम्पत्ति का विवरण पोर्टल पर प्रस्तुत करने हेतु अंतिम तिथि 31 अगस्त, 2024 निर्धारित किये जाने का निर्णय लिया गया है। अतएव आपसे अनुरोध है कि कृपया प्रश्नगत प्रकरण में निम्नानुसार कार्यवाही प्राथमिकता के आधार पर कराने का कष्ट करें:-

1. शासनादेश संख्या-9/2023/418/सामान्य/सैंतालीस-का-4-2023, दिनांक 18 अगस्त, 2023 में की गयी अपेक्षानुसार आपके विभाग के अन्तर्गत कार्यरत समस्त कार्मिकों द्वारा वर्ष 2023 के सापेक्ष अपनी चल-अचल सम्पत्ति का विवरण पोर्टल पर अवश्य ही दर्ज कर दिया जाए।
2. कतिपय कार्मिकों द्वारा वर्ष 2023 के सापेक्ष चल-अचल सम्पत्ति का विवरण दर्ज न

करते हुए वर्ष 2024 के सापेक्ष अपना विवरण दर्ज किया गया है। उन्हें वर्ष 2023 के सापेक्ष चल-अचल सम्पत्ति का विवरण दर्ज करने के निर्देश दिये जाए। वर्ष 2024 के सापेक्ष चल-अचल सम्पत्ति का विवरण 31 दिसम्बर, 2024 के पश्चात दर्ज किया जाना होगा।

3. चल-अचल सम्पत्ति का विवरण पोर्टल पर दर्ज करने वाले कार्मिकों का ही माह अगस्त , 2024 का वेतन आहरित किया जाए।

4- प्रश्नगत प्रकरण अत्यन्त महत्वपूर्ण है अतएव आपसे अनुरोध है कि कृपया प्रकरण में व्यक्तिगत ध्यान देते हुए विभाग स्तर पर समीक्षा सुनिश्चित कर उपरोक्तानुसार कार्यवाही पूर्ण कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

Signed by
Manoj Kumar Singh
Date: 17-08-2024 11:37:55

(मनोज कुमार सिंह)
मुख्य सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अपर मुख्य सचिव, मा० मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश।
2. प्रमुख स्टाफ ऑफिसर, मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश।
3. अपर मुख्य सचिव / प्रमुख सचिव, वित्त विभाग / सचिवालय प्रशासन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
4. महानिदेशक, उत्तर प्रदेश प्रशासन एवं प्रबन्धक अकादमी, अलीगंज, लखनऊ।
5. सचिव, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, प्रयागराज / उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, लखनऊ।
6. निदेशक कोषागार, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
7. समस्त मण्डलायुक्त / जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
8. समस्त मुख्य / वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
9. प्रबन्धक निदेशक, यू0पी0 डेस्को, गोमती नगर, लखनऊ।
10. राज्य सूचना विज्ञान अधिकारी, एन०आई०सी०, लखनऊ को उपरोक्तानुसार कार्यवाही हेतु पोर्टल पर आवश्यक व्यवस्था कराने हेतु।
11. श्री ए०के० रावत, निदेशक (आई०टी०), एन०आई०सी०, योजना भवन, लखनऊ उपरोक्तानुसार कार्यवाही हेतु पोर्टल पर आवश्यक व्यवस्था कराने हेतु।
12. गार्डफाइल।

आज्ञा से,

(एम० देवराज)
प्रमुख सचिव।